न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 11/2012 दर्ज दिनांक : 09.01.2012

1. नवाब खां आदि बनाम प्रतापसिंह आदि

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री अर्जुनसिंह, महिम्न जोशी
अप्रार्थीः–श्री धन्नाराम सैनी

प्रार्थना पत्रः– आदेश–07 नियम–11
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908

: निर्णय :

न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त अनुवानी दावा में प्रतिवादी सं. 2/1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि

1. हस्तगत वाद दिनांक 06.01.2012 को वादी वादी नवाब खां द्वारा न्यायालय में पेश किया गया है तथा दिनांक 09.01.2012 को रिपोर्ट हो कर वाद दर्ज रजिस्टर हुआ है तथा वाद में प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में प्रतापसिंह पुत्र सबल सिंह को पक्षकार बनाया गया है।
2. वाद के प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह का निधन वाद न्यायालय में पेश करने से करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व दिनांक 16.09.2008 को हो चुका था मगर वादी ने वाद के मद संख्या 6 में प्रतिवादीगण से दिनांक 02.01.2012 को मिलने व इंकार करने का मिथ्या कथन दर्ज कर मिथ्या तथ्य का शपथ पत्र पेश किया है।
3. कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद पेश करना कानूनन वर्जित (barred by law) है तथा वादी ने मृत व्यक्ति जो वाद पेश करने से साढ़े तीन वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हो चुका था के खिलाफ वाद पेश किया है इसलिए वादी का वाद खारिज किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति सहित पेश कर निवेदन है कि वाद को खारिज किया जावे।

वादी की ओर से इस प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि

1. प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 1, 2, 3 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नहीं अस्वीकार की जाती है। इस मद में गलत अंकित किया गया है कि मेरे द्वारा विधि द्वारा वर्जित दावा पेश किया गया है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण अलग–अलग पृष्टभूमि [illegible] पर सदामद से काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रतिवादीगण पंजीकृत [illegible] कि कस्बा चूरू में रहते है प्रतिवादीगण जयपुर, बीकानेर एवं [illegible] एवं प्रतिवादीगण की मृत्यु के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested

संबंध में जानकारी नहीं रही है। वादी द्वारा सही रूप से दावा किया गया है वादी को स्वर्गीय प्रतापसिंह की मृत्यु के संबंध में पता चलने पर वादी ने एक प्रार्थना–पत्र न्यायालय के समक्ष स्वर्गीय प्रताप सिंह के वारिसान को अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. में प्रेषित किया था तथा उसके एलआर रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया था जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि "पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उप.। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. की पेश की जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रतिवादी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से पूर्व में पेश प्रा. पत्र O 22 R 3 की पेश की जो शामिल की गई। अधिवक्ता वादी की ओर से इस पर कोई अनापत्ति जाहिर नहीं की गई। अधिवक्ता वादी की ओर से प्रस्तुत प्रा. पत्र पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जाहिर नहीं की गई। अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना गया। प्रतिवादी सं. 1 के विधिक वारिसान व प्रतिवादी संख्या 2/1 के विधिक वारिसान को सुनवाई अधिकार को ध्यान में रखते हुये वाद को प्रभावी तौर पर और पूरी तरह से न्यायनिर्णयन निपटारा के लिए न्याय के नैसर्गिक व पूर्ण न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए प्रा. पत्र O 01 R 10 व प्रा. पत्र O 22 स्वीकार की जाकर जार प्रतिवादी सं. 1 के विधिक वारिसान को प्रतिवादी पक्षकार 1/1 से 1/3 व प्रतिवादी सं. 2/1 के विधिक वारिसान 2/1/1 से 2/1/3 बनाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिवक्ता वादी संशोधित टाईटल पेश करे। मिसल वास्ते संशोधित टाईटल दिनांक 15.07.2024 को पेश हो" इससे स्पष्ट है कि स्व. प्रतापसिंह के वारिसान रिकॉर्ड पर आ चुके है। पदमसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निष्प्रभावी हो चुका है। उक्त प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई किया जाना न्यायोचित नहीं रह गया है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि पदमसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थी/प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाने का निम्न प्रकार निवेदन किया–

- वाद के प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह का निधन वाद न्यायालय में पेश करने से करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व दिनांक 16.09.2008 को हो चुका था मगर वादी ने वाद के मद संख्या 6 में प्रतिवादीगण से दिनांक 02.01.2012 को मिलने व इंकार करने का मिथ्या कथन दर्ज कर मिथ्या तथ्य का शपथ पत्र पेश किया है।
- कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद पेश करना कानूनन वर्जित (barred by law) है तथा वादी ने मृत व्यक्ति जो वाद पेश करने से साढ़े तीन वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हो चुका था के खिलाफ वाद पेश किया है इसलिए वादी ... खारिज किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested

- प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। बाद पत्रावली अवलोकन व मनन बहस ज्ञात होता है कि प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के प्रार्थना पत्र से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***11. Rejection of plaint.-*** *The plaint shall be rejected in the following cases:—*
>
> *(a) where it does not disclose a cause of action;*
>
> *(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;*
>
> *(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;*
>
> *(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;*
>
> *(e) where it is not filed in duplicate;*
>
> *(f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9.*
>
> ***Provided that*** *the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.*

- इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt. V. Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार हैः–

> **While filing an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court is bound to see whether the case on hand falls within six limbs stated in the said Rule. If the suit is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected.**

- सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt.V.Bragan Nayagi vs R.R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested

2015 को दिये गये निर्णय में बताये गये 06 आधारों के उक्त साधारण पठन से ज्ञात होता है कि किसी वाद पत्र को निम्न 06 आधारों पर खारीज किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैं:–

1. वाद पत्र द्वारा वाद हेतुक का प्रकटीकरण नहीं किया जाना।
2. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की वास्तविक्ता से कम गणना करना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण गणना को दुरूस्त नहीं करना।
3. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की सटीक गणना करना परन्तु उसी अनुरूप उचित स्टाम्प वाद पत्र पर नहीं लगाना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण स्टाम्प की कमी को दुरूस्त नहीं करना।
4. वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वाद–पत्र का विधि द्वारा वर्जित पाया जाना।
5. वाद पत्र का बहु प्रतिलिपियों में प्रस्तुत नहीं किया जाना।
6. वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–9 के प्रावधानों की अनुपालना करने में विफल होना।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान अवगत करवाया कि उनके द्वारा आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का निर्णय नहीं किया। दावा में वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 दिनांक 02.01.2012 को मिलने व खातेदारी दर्ज करवाने से साफ इन्कार करने पर वाद हैतुक पैदा हुआ का अंकन किया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप सिंह का निधन वाद न्यायालय में पेश करने से करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व दिनांक 16.09.2008 को हो चुका था मगर वादी ने वाद के मद संख्या 6 में प्रतिवादीगण से दिनांक 02.01.2012 को मिलने व इंकार करने का मिथ्या कथन दर्ज कर मिथ्या तथ्य का शपथ पत्र पेश किया है। वादीगण द्वारा प्लीडिंग व शपथ–पत्र गलत प्रस्तुत किये गये हैं। कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद पेश करना कानूनन वर्जित (barred by law) है तथा वादी ने मृत व्यक्ति जो वाद पेश करने से साढ़े तीन वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हो चुका था के खिलाफ वाद पेश किया है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति सहित पेश कर निवेदन है कि वाद को खारिज किया जावे।

वादी अधिवक्ता के बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण अलग–अलग पृष्टभूमि के व्यक्ति है। वादीगण उक्त भूमि पर सदामद से काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रतिवादीगण पंजीकृत मालिक है जो कि कस्बा चूरू में रहते है प्रतिवादीगण जयपुर, बीकानेर एवं अन्य जगहों पर रहते है। आपस में वादी एवं प्रतिवादीगण की मृत्यु के संबंध में जानकारी नहीं रही है। वादी द्वारा सही रूप से दावा किया गया है वादी को स्वर्गीय प्रतापसिंह की मृत्यु के संबंध में पता चलने पर वादी ने एक प्रार्थना–पत्र न्यायालय के समक्ष स्वर्गीय प्रताप सिंह के वारिसान को अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. में प्रेषित किया था तथा उसके एलआर रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया था जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि ''पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उप.। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नि[illegible]की प्रति अधिवक्ता प्रतिवादी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी अ[illegible]ोर से पूर्व में पेश प्रा. पत्र O 22 R 3 की पेश की जो शामिल की गई। [illegible] अनापत्ति जाहिर नहीं की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested

गई। अधिवक्ता वादी की ओर से प्रस्तुत प्रा. पत्र पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जाहिर नहीं की गई। अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना गया। प्रतिवादी सं. 1 के विधिक वारिसान व प्रतिवादी संख्या 2/1 के विधिक वारिसान को सुनवाई अधिकार को ध्यान में रखते हुये वाद को प्रभावी तौर पर और पूरी तरह से न्यायनिर्णयन निपटारा के लिए न्याय के नैसर्गिक व पूर्ण न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए प्रा. पत्र O 01 R 10 व प्रा. पत्र O 22 स्वीकार की जाकर जार प्रतिवादी सं. 1 के विधिक वारिसान को प्रतिवादी पक्षकार 1/1 से 1/3 व प्रतिवादी सं. 2/1 के विधिक वारिसान 2/1/1 से 2/1/3 बनाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिवक्ता वादी संशोधित टाईटल पेश करे। मिसल वास्ते संशोधित टाईटल दिनांक 15.07.2024 को पेश हो" इससे स्पष्ट है कि स्व. प्रतापसिंह के वारिसान रिकॉर्ड पर आ चुके है। पदमसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निष्प्रभावी हो चुका है। उक्त प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई किया जाना न्यायोचित नहीं रह गया है।

1. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में उक्त आधार पर दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वाद–पत्र का विधि द्वारा वर्जित श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। परन्तु प्रकरण में वादी को मृत व्यक्ति के विरूद्ध दावा लाने का अधिकार नहीं होने पर दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रकरण वादहेतुक उत्पन्न नहीं होने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत खारिज किये जाने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होने के आधार पर वादपत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज 08.12.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested